न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित–अशोक कुमार यादव–I,एच.जे.एस.,

शेसन्स केस संख्या–409/2023

राज्य बनाम सोनामती।

धारा–302, 201 भारतीय दंड संहिता,

थाना–बभनी, जनपद–सोनभद्र।

<u>आदेश</u>

<u>14.08.2023</u> :–पुकार पर अभियुक्ता जेल से तलब होकर उपस्थित है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दांडिक एवं अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता/न्याय मित्र को आरोप विरचन के विन्दु पर सुना। अभियोजन की ओर से विवेचक के द्वारा एकत्रित साक्ष्य को बताते हुए यह कहा गया कि अभियुक्ता सोनामती के विरूद्ध धारा–302, 201 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार है। पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से इस स्तर पर अभियुक्ता सोनामती के विरूद्ध धारा–302, 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आरोप विरचित किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना साक्ष्य दिनॉक–28.08.2023 को प्रस्तुत करे। अभियुक्ता नियत तिथि के लिये जेल से तलब हो।

दिनांक–14.08.2023

(**अशोक कुमार यादव–I**)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र।

उपस्थित–अशोक कुमार यादव–I, एच.जे.एस.,

सेशन्स केस संख्या–409/2023

राज्य बनाम सोनामती।

धारा–302, 201 भारतीय दंड संहिता,

थाना–बभनी, जिला–सोनभद्र।

–:**<u>आरोप</u>**:–

मैं अशोक कुमार यादव–I, सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र आप अभियुक्ता सोनामती को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूं:–

प्रथम:– यह कि दिनांक–01.03.2023 की रात्रि में बहद स्थान–परसाटोला, थाना–बभनी, जनपद–सोनभद्र में आपने वादी धन सिंह के पुत्र व अपने पति जय प्रकाश के सिर पर कुल्हाड़ी से कई प्रहार कर उसकी हत्या की। ऐसा करके आपने भारतीय दंड संहिता की धारा–302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय:– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी के पुत्र उक्त का शव हत्या का साक्ष्य समाप्त करने के उद्देश्य से मृतक के कमरे में छिपा दिया। ऐसा करके आपने धारा –201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–14.08.2023

(अशोक कुमार यादव–I)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

उपरोक्त आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्ता ने आरोपों से इन्कार किया और परीक्षण की याचना की।

दिनांक–14.08.2023

(अशोक कुमार यादव–I)
सत्र न्यायाधीश
सोनभद्र

Digitally signed by Ashok Kumar Yadava I
Date: 2023.08.14 12:04:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,Sonbhadra